



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237615
CG-DL-E-28072022-237615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सं.19/2015-2020

विषय: इंजीनियरिंग उत्पाद समूह के मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में संशोधन: सिओन सी-594, सी-791 से सी-796 और सी-831 को रोकने के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/386/एम 20/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. निर्यात मद हेतु निम्नलिखित तदनुरूपी यथा उल्लिखित क्रम संख्याओं पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है:

क्रम सं.	निर्यात मद
सी 594	कार्बन / मिश्र धातु इस्पात सिमलैस ट्यूब (कोल्ड फिनिश)
सी 791	सिमलैस स्टेनलेस स्टील ट्यूब (कोल्ड फिनिश)
सी 792	सिमलैस स्टेनलेस स्टील ट्यूब (कोल्ड फिनिश) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड -304/304 एल / 321)
सी 793	सिमलैस स्टेनलेस स्टील ट्यूब (कोल्ड फिनिश) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड-316/316 एल/316 टीआई)
सी 794	सिमलैस स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइप (हॉट फिनिश)

सी 795	सिमलैस स्टेनलेस स्टील ट्यूब (हॉट फिनिशड) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड -304/304 एल / 321)
सी 796	सिमलैस स्टेनलेस स्टील ट्यूब (हॉट फिनिशड) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड -316/316एल/316टीआई)
सी 831	स्टेनलेस स्टील सिमलैस ट्यूब/पाइप (कोल्ड फिनिशड)

3. ऊपर उल्लिखित उत्पादों के निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.07 के तहत आवेदन कर सकते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

सी-594, सी-791 से सी-796 और सी-831 के तहत यथा उल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को तत्काल प्रभाव से रोका गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th July, 2022

No. 19/2015-2020

Subject:- Amendment in Standard Input Output Norms (SION) of Engineering Product group: Suspension of SIONs C-594, C-791 to C-796 and C-831

F. No. 01/94/180/386/AM20/PC-4.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Standard Input Output Norms (SION):

2. The Standard Input Output Norms (SIONs) as appearing at the following serial numbers corresponding to the export item are suspended with immediate effect:

Sl. No.	Export Item
C594	Carbon/ Alloy Steel Seamless Tubes (Cold Finished)
C791	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished)
C792	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished) (Stainless steel grade-304/304L/321)
C793	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished) (Stainless steel grade-316/316L/316 TI)
C794	Seamless Stainless Steel Tubes/ Pipes (Hot Finished)
C795	Seamless Stainless Steel Tubes (Hot Finished) (Stainless steel grade -304/304L/321)
C796	Seamless Stainless Steel Tubes (Hot Finished) (Stainless steel grade -316/316L/316TI)
C831	Stainless Steel Seamless Tubes/Pipes (Cold Finish)

3. An exporter desirous of obtaining Advance Authorisation for export of above said products may apply under Para 4.07 of Handbook of Procedures 2015-20.

Effect of this Public Notice:

Standard Input Output Norms (SIONs) appearing under C-594, C-791 to C-796 and C-831 are suspended with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.